भारत का संविधान : प्रस्तावना (उद्देशिका)

हम, भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न,
समाजवादी, पंथ-निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के
लिए, तथा उसके समस्त नागरीकों को-

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय,
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म
और उपासना की स्वतंत्रता,
प्रतिष्ठा और अवसर की समता
प्राप्त कराने के लिए,
तथा उन सबमें व्यक्ति की गरिमा और
राष्ट्र की एकता और अखण्डता
सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए

दृढ़संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज
तारीख 26 नवम्बर, 1949 ई. (मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवत्
दो हजार छह विक्रमी) को एतद्द्वारा इस संविधान को
अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।

- ध्यान रखने योग्य बातें :–

1. प्रस्तावना का विचाार अमेरिका के संविधान से लिया गया था।

2. प्रस्तावना में मूल रूप से समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखण्डता शब्द शामिल नहीं थे। इन्हें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा प्रस्तावना में शामिल किया गया था।

3. प्रस्तावना में उल्लेखित तिथि 26 नवम्बर, 1949 को संविधान तैयार कर लिया गया था परन्तु इसे लागू 26 जनवरी, 1950 को किया गया। इसका मुख्य कारण यह था कि 20 वर्ष पूर्व 26 जनवरी, 1929 को कांग्रेस पार्टी के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग करते हुए स्वतंत्रता दिवस मनाने की परम्परा शुरू हुई थी। अतः इस दिन के एतिहासिक महत्व को बनाए रखने के लिए 26 जनवरी को संविधान को भारतीय गणतंत्र पर लागु किया गया।

4. प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना जाता है। इसे केवल संविधान के परिचय पत्र, दर्पण, संविधान के सार और संविधान की कुंजी के रूप में देखा जाता है। लेकिन, 1973 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केशवानंद भारती बनाम् केरल राज्य मामले में सुनवाई करते हुए प्रस्तावना को संविधान के भाग के रूप में स्वीकार किया गया।

5. संविधान की प्रस्तावना में निहित मूल तत्वों व मूल विशेषताओं को अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित नहीं किया जा सकता।

- **प्रस्तावना के तत्व**

प्रस्तावना में **चार** मूल तत्व हैं –

1. **संविधान का स्त्रोत** – संविधान के प्रस्तावना के अध्ययन से संविधान के स्त्रोत का ज्ञान होता है। प्रस्तावना के प्रथम तथा अंतिम शब्द, 'हम भारत के लोग.....इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित तथा आत्मार्पित करते हैं' से यह स्पष्ट होता है कि संविधान का स्त्रोत स्वयं भारतीय जनता है।

2. **भारत की प्रकृति** – प्रस्तावना भारत में अपनायी जाने वाली शासकीय व्यवस्था के स्वरूप पर प्रकाश डालती है। यह भारत को एक सम्प्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक व गणतांत्रिक राजव्यवस्था वाला देश घोषित करती है।

3. **संविधान के उद्देश्य** – प्रस्तावना के अनुसार संविधान का उद्देश्य व्यवस्था में न्याय, स्वतंत्रता, समता व बंधुत्व की भावना को स्थापित करना है।

4. **संविधान लागू होने की तिथि** – यह 26 नवम्बर, 1949 को संविधान को अपनाए जानें की तिथि के रूप में उल्लेखित करती है।

- **प्रस्तावना का महत्व**

  प्रस्तावना में उस आधारभूत दर्शन और राजनैतिक, धार्मिक व नैतिक मूल्यों का उल्लेख है जो हमारे संविधान का आधार है। यह हमारे संविधान का सार तत्व है। संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य **के. एम. मुंशी** ने प्रस्तावना को भारत के सम्प्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की **जन्मकुण्डली** कहा था। सुप्रसिद्ध अंग्रेज राजनीतिशास्त्री **बार्कर** प्रस्तावना को संविधान को समझने का मूल मंत्र बताते हैं। वह प्रस्तावना को संविधान का **'कुंजी नोट'** कहते हैं। प्रस्तावना में निहित मूल तत्व स्वतंत्र भारत के स्वरूप को आकार प्रदान करते हैं। ये भारत की शासन व्यवस्था, कानून व्यवस्थ, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था का आधार प्रदान करते हैं। वास्तव में प्रस्तावना संवैधानिक गुत्थियों का समाधान प्रस्तुत करता है। यह संविधान के लक्ष्यों को सुनिश्चित करता है। प्रस्तावना संविधान की आत्मा है।